13/6/2022

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अनवान तेजाराम बनाम चम्पादेवी वगैरा ।

पत्रावली आज पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित । प्रतिवादी को रजिस्ट्रर्ड ए.डी. नोटिस भेजे गये । बावजूद सूचना के कोई अनुपस्थित नहीं हुए । अधिवक्ता वादी ने ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 899 कुल रकबा 2.0882 हैक्टेयर कृषि भूमि बाबत् बंटवाड़ा का वाद पेश किया गया जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का भी हिस्सा 1/2 बताया गया जो कि वाद के संलग्न जमाबन्दी से भी स्पष्ट होता हैं । चूंकी यह वाद केवल मात्र बंटवाड़ा हेतु ही पेश किया गया हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 899 कुल रकबा 2.0882 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा पूर्वी दिशा की तरफ तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा पश्चिमी दिशा की तरफ राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद अलग अलग खसरा नं0 दर्शाकर दर्ज करें तथा इसी अनुसार वाद में बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करें । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/7/2022 को पेश हों ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

18/7 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर है। राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 1/8 को पेश हो।

Not Press
8/8/22

3/8 पत्रावली पेश हुई पत्रावली में वादी अधिवक्ता वाद को Not Press में खारिज किये जाने का निवेदन किया और निवेदन स्वीकार किया जाकर वादी का वाद Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली के हाल ... दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner